

193110

1184 — 0

नियम ४ (२) देखिये

Page 5/6

दिनांक / 0-11-2024



शोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण—पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1989 से अधीन)

नवीकरण संख्या

3728

पञ्चावली संख्या

1-800-877-7777

2002-2003

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि रवीश वाल्कीनो गृथ
इंटरनेटिंग एसोसिएशन, 201, डिप्टी स्ट्रीट पाब्लिकर अपार्टमेंट तृतीय शालीबाग,
मिडल गंगा संस्थान, अलीपुरा-226001

दिये गये राजस्वीकरण प्रमाण-पत्र 14/08 दिनांक 13-08-2003 का दिनांक

13-08-2017 से प्राप्त कार्य की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1100 संपदे की नवीकरण कीरा सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जाती करने का दिनांक 15-12-2017

सोसाइटी चॅरिटराद्वारा
चलित प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AD 276965

एक हजार रुपये का स्टाम्प परस्कीरित करने के लिये
उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर 1355/7
विषय: राजस्व का फार्म नं. 1
के लिये किये गये हैं।



सत्य प्रतिलिपि


प्रधान सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
मुख्य सचिव (आ.प्र.)
1355/7

પ્રતિ
શ્રી

શ્રી ૧૮૦૧ યાજ્ઞવલ્ક્ય પુરાણ
શ્રી ૧૮૦૧ યાજ્ઞવલ્ક્ય

૩-૨૦૨૦
૨૦૨૦

૧

स्कील वाल्कनो यूथ इंटरटेनिंग एसोसिएशन

201 द्वितीय तल ग्राण्डियर अपार्टमेंट तृतीय डालीबाग,

निकट गन्ना संस्थान लखनऊ -226001

पत्रावली संख्या 1-135507

की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2018-2019

क्र	नाम	पता	पद	व्यवसाय
१.	श्री जगमोहन रावत पुत्र स्व० अवि पाल	34/302 गंधार सहारा स्टेट जानकीपुरम् लखनऊ	अध्यक्ष	कलाकार
२.	श्रीमती कुमकुम मोहन पुत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा	1/304 मल्हार डीलक्स सहारा ग्रेस जानकीपुरम् लखनऊ-226017	उपाध्यक्ष	समाज सेविका
३.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र श्री आर० पी० शर्मा	90/10 बी० तृतीय तल मन्वलीय नगर नई दिल्ली	सचिव	शिक्षक
४.	कीर्ति निगम पुत्री श्री कमल किशोर निगम	सी/ 444 गुजनी रतन लाल नगर कानपुर	प्रबन्धक	समाज सेविका
५.	श्री अनुज मिश्रा पुत्र श्री ओम प्रकाश मिश्रा	499/160 छोटा चौदगंज लखनऊ	कोषाध्यक्ष	कलाकार
६.	श्री मदन शर्मा पुत्र श्री अवि पाल शर्मा	अधिकुल इन्टरनेशनल स्कूल मथुरा बलदेव रोड गोकुल मथुरा	सदस्य	शिक्षक
७.	शैली वर्मा पत्नी श्री संदीप वर्मा	594 घ /135 भवगन्त नगर निलमथा बाजार कैंट लखनऊ-226002	सदस्य	ग्रहणी
८.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजोहन सिंह	ग्राम व पोस्ट पिपरसण्ड जिला लखनऊ	सदस्य	समाज सेवा

सत्यप्रतिलिपि:-

हस्ताक्षर :-

1

2

3

4

Handwritten signature

C. SHERHAN

Handwritten signature

Handwritten signature

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान, विभाग

आयोजन विभाग, सचिव
ग्राम सौभाग्य योजना, लखनऊ

1354-18





5135507

प्रकृत का क्रम स्वास्थ्य एवं कुटुम्ब कल्याण विभाग
आवेदन का क्रम 2018-2019
आय दिनांक 19-4-2018
को प्रकृत हो गई


नियंत्रक, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य एवं कुटुम्ब कल्याण विभाग

आचार्य

स्वास्थ्य एवं कुटुम्ब कल्याण विभाग

नई दिल्ली

2018

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AD 276966

एक जनरल स्टाम्प फार एम्प्लॉय वॉल्वेनो प्रुफ
इंस्ट्रुमेंटिंग एसासिरेट्स
बिल्डिंग लुडनद फाइल नं० 13550
सरोज लुडिण्ड के साथ संलग्न है ;



सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी सचिव
फार्म सॉल्यूशंस तथा सिटि
1304/13

232

43410

2168 W

97089-2000

10th Feb
 10th Feb 4100000 24 10000000 10000000 10000000

104 -

31-3-2020
09:00:00

2010

Signature: _____

संशोधित स्मृति पत्र

१. संस्था का नाम : स्कील वाल्कैनो यूथ इंटरटेनिंग एसोसिएशन,
२. संस्था का पूरा पता: 201 द्वितीय तल ग्राण्डियर अपार्टमेंट तृतीय खालीबाग, निकट गन्ना संस्थान लखनऊ -226001
३. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष।
४. संस्था के उद्देश्य :

१. युवा वर्ग के लिए इंटरटेनिंग प्रोग्राम, शो ऑर्गेनाइज, बाल प्रतियोगिताएं, युवा सांस्कृतिक, फैशन शो कार्यक्रम, रंगमंच, हास्य-व्यंग्य कार्यक्रम, गीत एवं डांस शो, खेलकूद प्रतियोगिता, अंतर्जाली/टॉकशो कार्यक्रमों आदि का आयोजन करना तथा छिपी हुई प्रतिभाओं को उभार कर उनको एवं मंच देना।
२. जनजीवन को सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक, शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास हेतु प्रयास कर स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करना।
३. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े अल्पसंख्यक व निर्धन छात्र-छात्राओं के लिए कम्प्यूटर साफ्टवेयर, हार्डवेयर इंटरनेट आदि की निःशुल्क व्यवस्था कर उन्हें परीक्षा में शामिल होने हेतु समकक्ष योग्यता प्रदान करना।
४. विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, व्यायामशाला निःशुल्क चिकित्सालय, प्रयोगशाला आदि की स्थापना करना।
५. बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, चारित्रिक, शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास करना।
६. हरिजन, पिछड़े, दलित वर्गों निर्धन वर्ग युवाओं मलिहाओं तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े पिछले अल्पसंख्यक व निर्धन छात्र-छात्राओं के लिए कम्प्यूटर की निःशुल्क हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण योजनाओं तथा कृषि आदि कार्यों का संचालन करना।
७. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक गरीब महिलाओं एवं बालक बालिकाओं तथा सामान्य के लिए सिलाई, कढ़ाई, चिकन, वरोजी, कढ़ाई बुनाई निःशुल्क दस्तकारी, टाइप शार्ट हेण्ड, कम्प्यूटर, पेन्टिंग फीश डिजाइनिंग रेडीमेड गारमेन्ट्स म्यूटीपासर् एवं अन्य सांस्कृतिक जैसे डोलक, नाट्य विद्यालय, संगीत नृत्य एवं गायन-वादन इत्यादि प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना तथा उन्हें संचालित करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर करना।
८. समाज कल्याण विभाग उ० प्र० केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, एच०एल०एफ०पी०पी०टी०, आबाई, न्याई, सिडबी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यू०सेफ, डवाकरा, सिफसा, सेफ इण्डिया, सूडा, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित महिला व बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं प्रचार प्रसार व संचालन करना।
९. समस्त कलाकार बंधुओं को स्वरोजगार के अन्तर्गत एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करना तथा उनका पूर्ण विवरण रखना।



सत्य प्रतिलिपि

प्रधान, सचिव
उपमंत्रालय विद्युत व संचार
कमल रोसादीय तथा विरुद्ध
12/04/20

C. S. H. B. K. H. A.

Rita Rajan

Anug

Anug

१०. अभिनय, नृत्य, वाद्य यंत्रों आदि का निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करना तथा कलाकार बंधुओं को प्रमाण पत्र वितरित करना।
११. विभिन्न सांस्कृतिक शिक्षण संस्थानों संस्थाओं को सही मार्गदर्शन देना तथा उन्हें अपने साथ मिलाकर कार्य करने को प्रेरित करना।
१२. फिल्म, टेलीविजन एवं रंगमंच साहित्य समस्त बेरोजगार कलाकार बंधुओं को एक सूत्र में बांध कर रोजगार परक कार्य दिलवाने का प्रयास करना।
१३. देश की समस्त सांस्कृतिक धरोहर का दुरुपयोग रोकना एवं उनका पुर्नउद्धार करने का प्रयास करना।
१४. देश की सांस्कृतिक धरोहर का समाज में सुचारु रूप से प्रचार प्रसार करने का प्रयास करना।
१५. देश के विभिन्न क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें एक मंच प्रदान कर दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करना।
१६. समय समय पर देश के विभिन्न विद्यालयों, कालेजों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में देश की संस्कृति के प्रति युवाओं को पूर्ण ज्ञान देना एवं उनको प्रेरित करना कि किस प्रकार अपनी संस्कृति को संजोकर रखना चाहिए इसका प्रयास करना।
१७. भारत सरकार एवं राज्य के सांस्कृतिक मंत्रालय की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना।
१८. देश की विभिन्न भाषाओं विभिन्न संस्कृति एवं वर्गों के कलाकारों के उत्थान हेतु नाटकों, नृत्य एवं संगीत कार्यक्रमों की व्यवस्था कर उन्हें प्रोत्साहित करना।
१९. संस्था द्वारा शहर एवं ग्रामीणों के कलाकारों द्वारा अश्लीलता से परे साफ सुथरे एवं सामाजिक व पारिवारिक नाटकों, टेलीफिल्मों एवं अन्य संगीत एवं नृत्य कार्यक्रमों द्वारा लोगों का मनोरंजन करना।
२०. क्षेत्र की सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन एवं पिछड़े तथा उत्पीड़ित महिलाओं के उत्थान एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन कर लोगों में जागरूकता पैदा करना।
२१. लोगों में शान्ती एकता एवं सद्भाव जागृत करने हेतु नुक्कड़ सभाओं एवं नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करना।
२२. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद, विचार गोष्ठी तथा संगीत नृत्य अभिनय एवं गीत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
२३. देश के किसी भी हिस्से प्रान्त वर्ग विरोध पर दैविक प्रकोप तथा आपात काल विविदाओं में उनकी सह्यता बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना।

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार समाज कल्याण विभाग उ० प्र०, भारत सरकार समाज कल्याण बोर्ड केन्द्रीय कपार्ट, अकाउंट, नाबार्ड, सिडबी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नगर विकास मंत्रालय सीएमए, एन०वी०आर०आई सी०डी०आर०आई, सिचाई विभाग डूनीसेफ विभाग, पर्यावरण मंत्रालय, जिला राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, सूखा, सूडा, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय गौधी फाउन्डेशन, सिपसा, ग्राम्य विकास विभाग, जिला उद्योग केन्द्र मृत्ति कल्याण एवं संस्कृति विभाग उ०प्र० खादी ग्रामोद्योग आयोग, बागवानी बोर्ड, केन्द्रीय एवं राज्य पर्यटन विभाग, विद्युत विभाग, भूमि सुधार कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास हेतु तैयारित कार्यक्रमों को सरकार के सहयोग से करना एवं प्रचार प्रसार करना।

२४. पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण टीकाकरण, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, हरीयाली कार्यक्रम प्रदूषण नियंत्रण ऊसर भंजर भूमि सुधार जैविक कृषि व गंधों बागवानी विकास वैकल्पिक ऊर्जा पशु पक्षी

सत्य प्रतिनिधि

प्रधान सचिव

आवासन विभाग, नई दिल्ली

कमल मोहनदीय तथा सितिका

सचिव, नई दिल्ली

130475

11 Aug

Amrinder

C. SHARMA

(जीव-जन्तु) संरक्षण गौ संरक्षण, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण भूमि एवं जल प्रबन्धन एवं जल संभयन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, दुग्ध विकास आदि कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

26. चरिवार कल्याण कार्यक्रम, टाइफाइड, टीकाकरण पोलियो ड्राप एस०टी०डी० एड्स चिकनपॉक्स, कैंसर आदि जैसे भयंकर रोगों के निवारण मध्य निषेध सामाजिक कुरीतियों के निवारण एवं महिला उत्प्रीड़न निवारण हेतु शिविर कैम्पों के माध्यम से प्रचार प्रसार करना एवं मानव दे हके अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए प्रयास करना।
28. संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों को एनिवेशन एवं मल्टी मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार व सहयोग देना।
29. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों/बालिका विद्यालय/अल्पसंख्यक विद्यालयों कालेजों का संचालन करना जिसमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था रखना तथा विधि विद्यालय एवं बी०एड०, बी०पी०एड०, बी०टी०सी० इंजीनियरिंग कालेज एवं अन्य प्रशिक्षण की निशुल्क व्यवस्था करना तथा उर्दू, फारसी, अरबी, अल्पसंख्यक मदरसों की स्थापना शासन की अनुमति से कराना।
26. समाज के शारीरिक विकलांग, मूक बधिर, नेत्रहीन, बेसहारा, मन्द बुद्धि बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्य करना।
30. वस्त्र मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रमों हस्तकला, हथकरघा, चिकन कढ़ाई, ऑटोमोबाइल ज्वेलरी इत्यादि कार्यों का सरकार के सहयोग से चलाना व निशुल्क प्रशिक्षण देना।
31. राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं से जन साधारण के कल्याण एवं उनके सर्वांगीण विकास हेतु सहायता प्राप्त करना एवं उन्हें संचालित करना।
32. भारत सरकार, राज्य सरकार, गैर सरकारी संस्थान, कॉर्पोरेट, आदि द्वारा चलाई जा रही चिकित्सा सम्बन्धी योजनायें जैसे चिकित्सालय चिकित्सा विद्यालय, सचल चिकित्सा वाहन, मोबाइल, मेडिकल यूनिट, एम्बुलेन्स, सेवाएं आदि का उपयुक्त विभागों द्वारा काम लेकर उनका प्रबन्धन एवं संचालन जनहित के लिये जन सामान्य तक पहुँचाना।
33. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जो कि जन सामान्य के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये चलाई जा रही हैं उनका प्रबन्धन संचालन एवं प्रचार प्रसार करना।
34. होर्जिंग, बैनर, बाल पेन्टिंग, पोस्टर, लीफलेट, वियोस, पलेक्स बोर्ड, विनायल आदि की छपाई कराकर तथा अन्य आई०ई०सी० सामग्री एवं डैगो बैन, एल०ई०डी० बैन, एल०ई०डी० होर्डिंग, वीडियो बैन, ई-रिवला, रिवला, परिवहन संसाधन आदि द्वारा जनहित हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन करना एवं प्रचार प्रसार करना

सत्यप्रतिलिपि

अस्ताधरः



सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय विधि लेखन
कर्म संसाधन विभाग
(2018)

Signature

Amr

C. S. KHAN

Signature



2135507

किसका नाम श्री श्री गुरुदेव
 जन्म का नाम वि. नारायण
 जन्म दिनांक 15-12-2017
 को पंजीकृत किया गया 15-12-2017


 निदेशक, एन.बी.ट्रस्ट
 नया दिल्ली

श्री गुरुदेव

पंजीकृत
 दिनांक 15-12-2017
 नया दिल्ली

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

49AD 276967

श्री गुरुदेव स्टांप पत्र कै.वा.लै.नौ पू.५
इं.ए.निगा.एसो.सि.ए.ए.ए.
विद्या लाल मदन चंद्र नर 125507
संशोधन नियमावली के तहत प्रमाणित है ।



सत्य प्रतिलिपि

प्रमाणित
कार्यालय विद्या लाल मदन
कानून संशोधन संस्थान
1354/18

830

116

RT6705®

1242

0120702

10/1/2017

31-3-2020

0000

121

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : स्कील वाल्कैनो यूथ इंटीरटेनिंग एसोसिएशन।
 2. संस्था का पूरा पता : 201 द्वितीय तल ग्राण्डियर अपार्टमेंट तृतीय डालीबाग निकट गन्ना संस्थान लखनऊ-26001
 3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष।
 4. संस्था की सदस्यता एवं वर्ग :
 - आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 501/- रु. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।
 - सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते होंगे या संस्था के विकास हेतु 51/- रु. वार्षिक सदस्यता शुल्क देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य रहेगा।
 5. सदस्यता की अर्हतायें : कोई भी सदस्य जो संस्था के कार्यक्षेत्र का मूल निवासी हो स्वस्थ वित्त एवं बालिग हो भारतीय नागरिक हो, न्यायालय द्वारा अपराधी दिवालिया पागल आदि घोषित न हुआ हो संस्था के कार्यकलापों पर आस्था रखता हो निर्धारित शुल्क देकर संस्था का सदस्य बन सकता है।
 6. सदस्यता की समाप्ति :
 1. मृत्यु हो जाने पर।
 2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
 3. लगातार तीन हानिकारक कार्य करने पर।
 4. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
 5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
 6. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
 7. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
- अ. साधारण सभा
ब. प्रबन्धकारिणी समिति
- : साधारण सभा का गठन आजीवन, सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।
 - : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।
 - : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।
 - : साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।



गणपूर्ति

राज्य प्रतिनिधि

संस्था का नाम
संस्था का पता
संस्था का पता
संस्था का पता
संस्था का पता

C. SHAKHAN
Rishi Kumar
Surya Kumar
Anur

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय किया जायेगा।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. संस्था के नियमों एवं विनियमों में 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन करना।

प्रबन्धकारिणी समिति : गठन

: साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-एक, उपाध्यक्ष-एक, सचिव-एक, प्रबन्धक-एक, कोषाध्यक्ष-एक एवं सदस्य-3 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 8 होगी जो आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है।

बैठक

: प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अपधि

: प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति

: प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

संस्था की उन्नति की पूर्ति

: प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

संस्था के अधिकार व कर्तव्य :

1. संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।

2. किसी प्रकार के विवाद को निस्तारण करना।।

3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक बजट तैयार करना।

4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विदेश के व्यक्तियों, विदेशी सरकारों राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायों, दानशील व्यक्तियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयों समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, सांस्कृतिक मंत्रालय, कपार्ट, अवार्ड,



कार्य प्रतिक्रिया
प्रधान सहायक
सांस्कृतिक विपरीत अधिकारी
वे सांस्कृतिक तथा शिक्षा
1304-15

Pranav
Rishi Raj
Sugolam
CSHEKHAN

उद्यान विभाग, नाबार्ड, सिडबी, मानवसंसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ डवाकरा, सिफसा, बैंक इण्डिया, नेहरू युवा कल्याण मण्डल, हैल्पेज इण्डिया, वन विभाग, विकलांग विभाग/निदेशालय/आयोग/बोर्ड, भूमि सुधार निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यावरण मंत्रालय, पशु विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आर०सी०एच०, स्वास्थ्य मंत्रालय, समाज कल्याण, महिला कल्याण निगम, महिला कल्याण बोर्ड, सांस्कृतिक विभाग, राजीव गांधी पारितन्त्रेक्षण, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, हथकरघा मंत्रालय उ०प्र०, पर्यावरण विभाग, आक्सकैम इंडिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष विश्व बैंक, सूझ, डूडा, बैंको, वित्तीय निगमों, राष्ट्रीय एवं वित्तीय संस्थाओं, तथा खादी शानोद्योग बोर्ड/आयोग/कमीशन से ऋण अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना

५. संस्था की उपसमितियों/शाखाओं का गठन करना और उन पर नियंत्रण रखना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

६. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष

१. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
२. बैठकों के लिये दिनांको का अनुमोदन करना परिवर्तन करना व बैठकों को स्थगित करना।
३. बैठकों के लिये तिथि का निर्धारण करना।
४. संस्था में दैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन का कार्य करना।
५. कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना तथा संचालन करना।
६. अन्तिम निर्णय देना तथा समिति पर नियंत्रण रखना।
७. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना।
८. कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना तथा कार्यक्रमों को संचालित करना व करवाना।
९. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यों को ही करना।
१०. समिति की चल अचल सम्पत्ति को क्रय एवं विक्रय करना तथा हस्तांतरित करना।
११. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
१२. स्वयं संस्था के हितार्थ कार्य करेगा तथा अन्य कार्यों में सहयोग करेगा।
१३. संस्था के उद्देश्यों को हर सम्भव आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना।
१४. संस्था के लिए ऋण, अनुदान, राजकीय सहायता एवं विदेशी सहायता प्राप्त करना।



सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक

कार्यालय जिला नसिरावा
कर्म संस्था इंदौर, मध्य प्रदेश
संयुक्त मण्डल

(20/10/2018)

Signature
Rishi Rajan
Amey

उपाध्यक्ष

सचिव

प्रबन्धक

कोषाध्यक्ष

१५. बिल बाउचरों, आहरण पत्रों, संविदा पत्रों, ऋण पत्रों इत्यादि पर हस्ताक्षर करना।

१६. सदस्यों से दान चन्दा प्राप्त करना।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना तथा संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना।

१. संस्था के ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना

२. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।

३. बैठक की कार्यवाही को रजिस्टर में अंकित करना।

१. संस्था हित में कार्य करना।

२. बैठक में अनुशासन कायम रखना

१. कोषाध्यक्ष को संस्था के हित में मात्र 500/- रुपये खर्च करने का अधिकार होगा जिसकी संस्तुति बाद में प्रबन्ध समिति एवं प्रबन्धक और उपाध्यक्ष से लेनी होगी।

२. समस्त आय व्यय का वर्षवार लेखा-जोखा करके समस्त आलेख अध्यक्ष और प्रबन्धक के पास प्रस्तुत करना।

१०. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

: संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा

११. संस्था का कोष

: संस्था का समस्त कोष किसी भी स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक / प्राइवेट बैंक / राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से खाते का संचालन किया जा सकेगा।

१२. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (ऑडिट) :

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा।

१३. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही से संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही से संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर होगा या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति पर होगा क्षेत्रीय न्यायालय में।

१४. संस्था के अभिलेख

: सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक आदि

१५. विघटन

: संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

: हस्ताक्षर :

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सचिव
कार्यालय दिल्ली रजिस्ट्रार
कर्मा सोसाइटीज तथा मिशन
13/04/2018

Rishi Rajan
ANUR

Singh
C. SHERKHA



I-135567

फाइल का क्रम 135567
कागज़ का क्रम 135567
कागज़ दिनांक 15-12-2017
को फाइल की गयी 15-12-2017


नियंत्रक सचिव
सर्वोच्च न्यायालय, रायपुर

मिनिस्टर

रायपुर

15-12-2017